सत्यमेव जयते	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज **OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ**	SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक:- नि0 वि0-II/03/18733 दिनांक :- 23 /07/2025

सूचना

भारत सरकार के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनिमय, 2025 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो दिनांक 01 अप्रैल 2025 से लागू है। उक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा एक कार्यालय आदेश दिनांक 15/07/2025 निर्गत किया गया था कि खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी संवर्ग अपना विकल्प भरकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसी क्रम में संबन्धित खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी, अधिशासी अभियंता एवं कोषागार को सूचित किया जाता है कि NPS से UPS का विकल्प चुनने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

1. PFRDA द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26/06/2025 में एकीकृत पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी को अपना विकल्प फॉर्म-A2 ऑनलाइन/भौतिक रूप से भरकर संबन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी (अधिशासी अभियंता) को प्रस्तुत किया जाना है, जिसे अधिशासी अभियंता द्वारा Authorized किया जाएगा।
2. तत्पश्चात उसे संबन्धित वेतन एवं लेखाधिकारी (कोषागार), जहां कर्मचारी के भविष्य निधि/एन.पी.एस. अनुदान से संबन्धित कटौती भेजी जाती है, को भेजा जाएगा। कोषागार द्वारा उसे सत्यापित कर NSDL को प्रेषित किया जाएगा।
3. इसके अतिरिक्त N P S से U P S में Migration process से संबंधित लिंक (https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php) पर जाकर अग्रेत्तर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

Digitally signed by
Rajendra Prasad
Date: 22-07-2025
18:11:01

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ सी0 सी0

पत्रांक:- नि0 वि0-II/03/18733, 18741, 18743, 18748, 18752 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. **सचिव, महालेखाकार** (ले0 व ह0) -II, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. **समस्त व0 खंडीय** लेखाधिकारी/खंडीय लेखाधिकारी/ खंडीय लेखाकार को इस कार्यालय के **वेबसाइट के माध्यम से।**
3. **समस्त अधिशासी** अभियंता/कार्य अधीक्षक को इस कार्यालय के वेबसाइट के माध्यम से।
4. **समस्त मुख्य** कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस कार्यालय के वेबसाइट के **माध्यम से।**
5. **वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर** प्रकोष्ठ को वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR RAWAT
Date: 22-07-2025
18:14:06

File No. AE-02/03/WM-II/OfficeOrderRegardingNPS,UPS&OPS (Computer No. 408011)
Generated from eOffice by ANIL KUMAR GUPTA, ASSTT SUP (WM-2)- A K G, ASSISTANT SUPERVISOR, AG-(A&E-II)-ALLAHABAD-UTTAR PRADESH on 23/07/2025 03:19 pm

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि-2